कानून (Law)

डॉ० राजू मोची
विभागाध्यक्ष - राजनीति विज्ञान
डी०के० कालेज, डुमराँव
दिनांक - 06/05/2020

(1)

आधुनिक युग में राज्य अपने उद्देश्यों की पूर्ति कानून और प्रशासन द्वारा करते हैं। कानून शांतिपूर्ण परिवर्तन का एक प्रमुख साधन माना जाता है। साथ ही साथ वह समाज में न्याय की व्याख्या करता है, इसलिए अनेक विद्वान कानून को राज्य का आधार मानते हैं। मैकाइवर के अनुसार "राज्य कानून का पुत्र भी है और पिता भी।" इस बात को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि "एक कानून ऐसा होता है जो राज्य को नियंत्रित करता है (अर्थात् संविधान) और एक कानून वह होता है जिससे राज्य नागरिकों पर शासन करता है।" वस्तुतः आज के औद्योगिक समाजों में कानूनों और न्यायालयों के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती।

कानून का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning & Definition of Law)

कानून शब्द अंग्रेजी भाषा के 'लॉ' (Law) शब्द का हिन्दी रूपान्तर है। 'लॉ' शब्द अंग्रेजी भाषा में एक हजार से अधिक वर्ष पहले ग्रहण किया गया। इस 'लॉ' शब्द की उत्पत्ति पुरानी ट्यूटन (जर्मन) भाषा की 'लेग' (Lag) से हुई जिसका अर्थ होता है 'रख देना' (To Lay, to place, or to set)। शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से कानून का अर्थ है वह चीज जो बाहर से "थोपी या आरोपित की जाए", जैसे कोई किसी नियम को निर्धारित करता है (Lays down a rule)। मैकाइवर ने लिखा है कि "कानून सर्वव्यापी है, उसका शासन सर्वत्र है, जहाँ जीवन है वहाँ उसके सर्वव्यापी कानून है।"

साधारणतः कानून से हमारा अभिप्राय उन नियमों से है, जिनको समाज की सुव्यवस्था के लिए व्यक्ति अपने आचरण में पालन करते हैं। कानून शब्द बहुत व्यापक है जिसे कई अर्थों में प्रयुक्त किया जा सकता है।

(i) वैज्ञानिक नियम :- वह जिनमें किसी कार्य का और उसके कारण का संबंध कायम किया जाता है। उदाहरण स्वरूप गति के नियम और गुरुत्वाकर्षण के नियम।

(ii) सामाजिक नियम :- सामाजिक नियम वे कानून है जो व्यक्ति को समाज के सदस्य के रूप में मार्ग दिखाते हैं। इनको रीति रिवाज या प्रथा कहना अधिक युक्तिसंगत होगा।

(iii) नैतिक नियम :- नैतिक नियम वे कानून है, सत्य-असत्य के मौलिक समस्याओं से सम्बन्ध रखते है। नैतिक नियमों का संबंध अन्तःकरण या विवेक और विभिन्न कार्यों के मानसिक प्रेरकों से रहता है।

(10) राजनीतिक नियम :- राजनीतिक नियम वे नियम है जो व्यक्ति के व्यवहार का राज्य के एक सदस्य के रूप में नियंत्रण और पथ प्रदर्शन करते है।

राजनीति विज्ञान के अर्न्तगत कानून से तात्पर्य उस विशेष आचरण या नियम से है जिसका निर्माण तथा निर्धारण राज्य द्वारा होता है, जिसका पालन राज्य शक्ति द्वारा कराया जाता है तथा उल्लंघन करने वाले को राज्य दण्ड देता है।

परिभाषा :- विद्वानों ने कानून को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया है।

हालैण्ड (Holland) के अनुसार " कानून मनुष्यों के बाह्य आचरण के वे व्यापक नियम है जिन्हें सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है।"

वुडरो विल्सन (W. Wilson) के अनुसार " कानून निश्चित विचार तथा व्यवहार का वह अंश है जिसे सरकार की शक्ति लागू करती है।"

आस्टिन (Austin) के कथनानुसार " कानून संप्रभु के आदेश है।"

क्रेब (Crab) के अनुसार " कानून उन महत्वपूर्ण नियमों में से एक है जिनको हम मनुष्यों ने अपने निर्णयात्मक तथा स्वाभाविक गुणों के कारण बनाया।"

कानून के स्रोत (Sources of Law) :- कानून के स्रोत से अभिप्राय उन उद्गम स्थानों से है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कानून के निर्माण में सहायता देते है। कानून के मुख्य स्रोत निम्नलिखित है :-

(1) प्रथा / रीति-रिवाज (Custom) :- प्रथा एवं रीति रिवाज कानून का महत्वपूर्ण प्राचीनतम स्त्रोत है। प्रथा का निर्माण नहीं विकास होता है। उदाहरण स्वरूप : किसी स्थान पर पहुँचने के लिए एक मनुष्य किसी निश्चित रास्ता रोड पर चलता है और अन्य लोग भी उसी रास्ते पर चलते नजर आते है तो वही राह पगडंडी (beaten track of foot path) बन जाती है। प्रथा भी पगडंडी के समान ही है। प्रथागत रीति-रिवाज वे प्रचलित नियम होते है जिन्हें समाज के अधिकांश लोग चिरकाल से मानते चले आ रहे है। जो उनका उल्लंघन करते है, समाज में उनकी खिल्ली उड़ाई जाती है। रीति-रिवाजों के पीछे सामाजिक मान्यता की शक्ति होती है। जो रीति-रिवाज समाज में अधिक मान्य और प्रचलित हो जाते है, उन्हें राज्य कानून का रूप दे देता है। इस प्रकार प्रचलित रीति-रिवाज कानून का रूप धारण कर लेते है। विवाह और परिवार जैसी संस्थाएँ प्रथागत ही है। राज्य ने उनका निर्माण नहीं किया है। वे राज्य के आविर्भाव के पहले से ही विद्यमान है। बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल राज्य उन संस्थाओं को नियमित करने के लिए कानून बना सकता है, पर वे संस्थाएँ परम्परा की देन है। भारत में स्मृतियाँ तथा इंग्लैण्ड में "कॉमन लॉ" (Common Law) इस स्रोत की देन है।

(11) धर्म (Religion) :- प्राचीन काल से ही धर्म सामाजिक जीवन का प्रमुख स्तम्भ रहा है। धर्म और कानून का घनिष्ठ सम्बन्ध था। पहले लोग धार्मिक आचरणों का पालन

करते थे और बाद में राज्य उन्हीं आचरणों को कानून का रूप दे देता था। कभी कभी कानून को निश्चित करने में धर्म के पुजारी निर्णय करते थे। हिन्दुओं की मनुस्मृति, ईसाइयों की बाइबिल तथा मुसलमानों की कुरान के प्रमाण स्रोत है। इस तरह धर्म भी कानून का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है।

(III) न्यायिक निर्णय (Judicial Decisions) :— कानून के निर्माण और विकास में न्यायाधीशों के निर्णयों ने भी काफी योगदान किया है। न्यायाधीश केवल कानूनों की व्याख्या ही नहीं करते अपितु कई बार उन्हें नए मामलों में पुराने कानूनों का आश्रय लेकर भी निर्णय करना पड़ता है। जहाँ कानून अस्पष्ट और दुर्बोध (कठिन) होता है वहाँ नैतिकता और विवेक के आधार पर निर्णय देते हैं इस प्रकार न्यायाधीश भी कानून के स्रोत हैं।

(IV) वैज्ञानिक टीकाएँ (Scientific Commentaries) प्रायः सभी देशों में कानून के प्रसिद्ध विद्वानों ने, कानून को संग्रह, तुलना और क्रमबद्ध कर, कठिन कानूनों के अर्थ को स्पष्ट रूप से व्याख्या करते हुए ग्रंथ लिखे हैं। इन्हीं ग्रंथों को वैज्ञानिक टीकाएँ कहा जाता है। दूसरे रूप में कानून के ज्ञाता कठिन कानूनों को स्पष्ट करने के लिए कानून की व्याख्या करते हैं, और ग्रन्थ की रचना करते हैं, जिन्हें कानूनी टीकाएँ कहा जाता है।

(V) औचित्य (Equity) :— Equity का शाब्दिक अर्थ है बराबर करना या समान करना। न्यायिक क्षेत्र में इसका अर्थ न्याय की समानता से लिया जाता है। दूसरे शब्दों में समानता के साथ पालन करने या न्याय का उचित पालन करने का नाम ही औचित्य है। कभी-कभी न्यायाधीशों के समक्ष ऐसे विवाद उत्पन्न हो जाते हैं जिनके सम्बन्ध में कानून प्रकाश नहीं डालता। इस कारण से विवादों का फैसला वे प्रचलित विधि के आधार पर नहीं कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में न्यायाधीश अपने विवेक, न्याय शास्त्र के अनुसार और न्याय की सामान्य भावनाओं के आधार पर निर्णय करते हैं। ये ही निर्णय औचित्य पूर्ण निर्णय कहलाते हैं। औचित्यपूर्ण आधार पर लिए गए ऐसे निर्णय कानून के अंग बन जाते हैं। वर्तमान विधियों की व्याख्या करते समय न्यायाधीशों द्वारा लिए गए निर्णयों को न्यायिक निर्णय कहा जाता है। परन्तु जब ऐसे विवादों के संबंध में जिनपर कानून प्रकाश नहीं डालता, न्यायाधीश अपने विवेक और न्यायशास्त्र के अनुसार के आधार पर निर्णय लेते हैं तो उस निर्णय को औचित्यपूर्ण निर्णय कहा जाता है। दोनों ही समान रूप से कानून के अंग होते हैं।

(VI) विधि निर्माण (Legislation) :— वर्तमान काल में राज्य कानून का मुख्य निर्माता हो गया है। सभी देशों में कानून निर्माण का कार्य विधायिका या संसद करती है। भारत में संघीय सूची के विषयों पर संसद और राज्य सूची के विषयों में राज्यों की विधानपालिका कानून का निर्माण करती है। इस प्रकार प्रथा, धर्म, वैज्ञानिक टीका, न्यायिक निर्णय, औचित्य और विधि निर्माण कानून के

प्रमुख स्रोत है। यद्यपि विधि निर्माण (legislation) स्रोत के निकट अन्य स्रोतों का आधुनिक काल में महत्व कम हो गया है, तथापि आज भी वे स्रोत विधि निर्माण स्रोत पर अंकुश रखने का कार्य करते हैं।

कानून के प्रकार :- (Kinds of Law) :-

- राष्ट्रीय कानून (National law)
  - संवैधानिक कानून (Constitutional law)
  - साधारण कानून (ordinary law)
    - सार्वजनिक कानून (Public law)
    - व्यक्तिगत कानून (Private law)
  - प्रशासकीय कानून (Administrative law)
  - सामान्य कानून (General law)
    - अध्यादेश (ordinance)
    - संविधि (Statutes)
    - दृष्टांत (Case law)
    - प्रथागत कानून (Common law)
- अन्तर्राष्ट्रीय कानून (International law)

(1) **राष्ट्रीय कानून** :- राष्ट्रीय सीमा के अन्तर्गत सभी व्यक्तियों, समुदायों एवं संस्थाओं के आचरण नियमित करने वाले कानून को राष्ट्रीय कानून कहते हैं।

संवैधानिक कानून :- संवैधानिक कानून उस कानून को कहा जाता है जिसके द्वारा सरकार का ढाँचा निश्चित किया जाता है, सरकार के विभिन्न अंगों के कार्य निश्चित किए जाते हैं और नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का विश्लेषण किया जाता है। उदाहरणस्वरूप भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के संगठन तथा कार्य आदि का निर्धारण संवैधानिक कानून के द्वारा होता है।

साधारण कानून — नागरिकों के दैनिक जीवन एवं आचरण को नियमित करने वाले कानून को साधारण कानून कहा जाता है। यह कानून राज्य के साथ नागरिकों के संबंधों को निश्चित करता है। इस कानून का निर्माण विधानपालिका करती है।

सार्वजनिक कानून :- सार्वजनिक कानून उस कानून को कहते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति का सरकार या राज्य के साथ संबंध नियमित होता है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य राज्य में शांति और सुरक्षा को बनाए रखना तथा व्यक्तियों के जान माल की रक्षा करना है। उदाहरणार्थ, कर लगाने, चोरी, डकैती और हत्या करने वालों को दण्ड देने के लिए जो कानून बनाए जाते हैं, उसे सार्वजनिक कानून कहते हैं।

व्यक्तिगत कानून :- मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों को निर्धारित करने वाले कानूनों को व्यक्तिगत कानून कहा जाता है। इसका संबंध मनुष्यों के सामाजिक जीवन से नहीं होता। दीवानी कानून, जायदाद खरीद एवं बिक्री से संबद्ध कानून, विवाद संबंधी कानून व्यक्तिगत कानून हैं।

प्रशासकीय कानून :- किसी देश में साधारण नागरिकों से पृथक सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग कानून होते हैं। इसी कानून को प्रशासकीय कानून कहा जाता है। यह कानून राज्य और उसके कर्मचारियों के संबंध को नियमित करता है। प्रशासकीय कानून का प्रचलन फ्रांस में है। यह कानूनी फ्रांसीसी न्याय प्रणाली का एक आवश्यक अंग है।

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

सामान्य कानून :- प्रशासकीय कानून की तरह सामान्य कानून भी सार्वजनिक कानून का एक अंग है जो राज्य तथा व्यक्तियों के संबंध को निर्धारित करता है।

अध्यादेश :- किसी विशेष परिस्थिति का सामना करने के लिए या किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्यपालिका द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए जो आदेश जारी किया जाता है, उसे अध्यादेश कहा जाता है। अध्यादेश को भी कानून के समान ही माना जाता है। भारत के राष्ट्रपति और भारत के सभी राज्यों के राज्यपालों को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है।

संविधि :- यह वह कानून है जिसे राज्य की व्यवस्थापिका बनाती है। भारत में संसद द्वारा निर्मित कानून को संविधि कानून कहा जाता है।

दृष्टांत :- दृष्टांत मुकदमों के कानून हैं जिसे न्यायाधीश मुकदमों पर विचार करते समय बनाते हैं।

प्रथागत कानून :- ये कानून देश में प्रचलित रीति-रिवाजों तथा परंपराओं पर आधारित होते हैं। इंग्लैण्ड का कॉमन लॉ इसका श्रेष्ठ उदाहरण है।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून :- अन्तर्राष्ट्रीय कानून नियमों का वह समूह है जो विश्व के राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों की व्याख्या तथा उसका नियंत्रण करता है। लारेन्स के अनुसार "अन्तर्राष्ट्रीय कानून नियमों का वह समूह है जिसके द्वारा सभ्य राज्यों के पारस्परिक व्यवहारों का नियमन होता है।" ये कानून संधियों, प्रथाओं, समझौतों और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के नियमों पर आश्रित होते हैं जिस सीमा तक राज्य इन्हें अपने देश का कानून मानकर लागू करता है, वे राजकीय कानून की श्रेणी में आ जाते हैं।

समाप्त